निगरानी / एलआर / 1257 / 2017 / भरतपुर
प्रमोद बनाम रेशम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्रीमती रेखा गोयल, अभिभाषक प्रार्थी श्री सुनील पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी दिनांक : 06–03–2025 निर्णय यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 8 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 06–02–2017 के विरूद्ध धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। दौराने अपील अपीलांट ने अपील को विड्रो बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 01–07–2016 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट मछली की सहमति व रामरती के वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत् पेशी नियत की किन्तु दिनांक 10–08–2016 को अपीलांट द्वारा विड्रो प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे दोनों पक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उनका तर्क है कि दिनांक 01–07–2016 को अप्रार्थिया मछली के अनुपस्थित रहने व रामरती के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु आगामी पेशी नियत थी किन्तु अपीलांट / अप्रार्थी के मन में बदनियती आ जाने से दिनांक 10–08–2016 को नया अधिवक्ता नियुक्त कर विड्रो प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबकि उक्त दिनांक को अप्रार्थी / अपीलांट को मछली व रामरती के वारिसानों के हस्ताक्षर सहमति बाबत् करवाने थे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण इस बाबत् अप्रार्थी/अपीलांट से नहीं पूछा गया एवं निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2017 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र शामिल पत्रावली किया गया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से दिनांक 10–08–2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–2017 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	